

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिकी के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)

नियमावली, 2001

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24 और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या-10805 / दस-97-बी/ संसाधन इलाहाबाद, 08 मार्च, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिकी के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.—

- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिकी के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 कही जायेगी।
- (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-2, परिभाषाएं जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में:-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है;

(ख) निकाल दिया गया;

(ग) "वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसरण में लाइसेंस प्राधिकारी यथा नियत और अनुज्ञापी द्वारा फुटकर बिकी के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष में अपनी फुटकर दुकान के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत तीव्र देशी शराब (36 प्रतिशत के रूप में) की मात्रा से है। तथापि, यदि आबकारी वर्ष के प्रारम्भ के पश्चात् कोई लाइसेंस दिया जाता है, तो आबकारी वर्ष में शेष दिनों की संख्या के अनुसार अनुपातिक रूप से उनकी न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा को घटा दिया जायेगा;

(घ) "बेसिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिकी के एकान्तिक विशेषाधिकार हेतु सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के निमित्त प्रतिफलन के उस भाग से है, जो लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किए जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय, भुगतान किया जाय।

परन्तु यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो बेसिक लाइसेंस फीस अवशेष अवधि के एम०जी०क्य० के समानुपातिक होगी;

(ङ) "देशी शराब" में एक्सट्रा न्यूट्रल इल्कोहल ($ई०एन०ए०$ से निर्मित) ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली "तनु या तीव्र" देशी स्प्रिट भी सम्मिलित है, जैसी समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय ;

(च) "दैनिक बेसिक लाइसेंस फीस" का तात्पर्य प्रतिफल शुल्क के उस भाग से है, जो कि अन्तर्रिम लाइसेंस के प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसी दर से देय होगी जैसी राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाय ;

(छ) "दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा" वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का $1/365$ वां भाग होगी;

(ज) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;

(झ) "परिवार" का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्रों, अविवाहित पुत्रियों और आश्रित माता-पिता से है और वे इसमें शामिल हैं;

(ज) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(ट) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है;

(ठ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त, आबकारी अधिनियम की धारा-24 के अधीन देशी शराब की फुटकर बिकी के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के लिए प्रतिफल के शेष भाग से है, जो अनुज्ञापी द्वारा देय होगी। यह धनराशि दुकान के लिए नियत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर उदग्रहणीय प्रतिफल फीस के बराबर होगी।

परन्तु यदि व्यवस्थापन मध्य सत्र में होता है, तो यह अवशेष अवधि की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस

के बराबर होगी।

- (ड) "लाइसेंस फीस की मासिक किस्त" बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त होगी जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित प्रतिफल फीस के बराबर होगी और प्रत्येक माह देय होगी। तथापि अनुज्ञापी द्वारा एक माह में उठाई गई देशी शराब की मात्रा में निहित प्रतिफल फीस का समायोजन नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लाइसेंस फीस की मासिक किस्त के प्रति किया जा सकता है।
- (ढ) "मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा"- वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को बारह समान भागों में विभाजित किया जायेगा। इस प्रकार की गणना में प्राप्त मात्रा मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा होगी।
- (ण) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त लाइसेंस फीस के 1/10वाँ भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्याजमुक्त प्रतिभूति के रूप में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तरिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी;
- (त) "प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य आबकारी अधिनियम की धारा-30 के अधीन राज्य सरकार द्वारा देशी शराब की तीव्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है, जो देशी शराब के आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी।
- (थ) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य देशी शराब के आप्टिमम रिटेल प्राइस को पाँच रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है, जो आसवनी स्तर पर देय होगी तथा आसवनी द्वारा थोक आपूर्तिकर्ता से एक्स डिस्ट्रिलरी प्राइस के अतिरिक्त वसूलनीय होगी एवं जो थोक आपूर्तिकर्ता द्वारा फुटकर अनुज्ञापी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त वसूल की जा सकेगी, किन्तु अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की यह धनराशि, फुटकर अनुज्ञापी द्वारा संदेय लाइसेंस फीस के सापेक्ष समायोजित नहीं की जायेगी।
- (द) 'धरोहर धनराशि' का तात्पर्य अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिये पात्रता की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली बेसिक लाइसेंस फीस की धनराशि के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है, जो व्यतिक्रम की दशा में इस नियमावली के नियम-12 के उपबन्धों के अधीन जब्त किये जाने योग्य होगी।
- (घ) 'अनुक्रम' का तात्पर्य ई/लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से अनुज्ञापी के चयन के लिये कथित आधार दुकानों की धरोहर धनराशि के अवरोही क्रम से है।
- (न) "पोर्टल" का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित इसके वितरण के समाप्त अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड करने के प्रयोजन से है;
- (प) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य फुटकर अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय अर्हता के मानदण्ड से है;
- (फ) "व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आवेदन करने के समय इक्कीस वर्ष की आयु से अन्यून, भारत का नागरिक हो;
- (ब) "व्यवस्थापन" का तात्पर्य ई/लाटरी के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन से है, जो समाचार पत्र एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व नोटिस एवं संसूचना देकर सप्ताह के किसी दिन में हो सकता है। आगामी वर्ष के लिये दुकानों का व्यवस्थापन विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जा सकता है।
- (2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हों।

नियम-3 फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन:-

- (क) इस नियमावली के उपबन्धों और बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अधीन रहते हुए, देशी शराब की बिक्री के लिए फुटकर दुकान का इसमें यथाविनिर्दिष्ट निर्धारित फीस प्रणाली द्वारा व्यवस्थापन या पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा।
- (ख) भू-गृहादि के अन्दर और उसके बाहर दोनों ही प्रकार से उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों और आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित ऐसे पात्रों में देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापन प्रपत्र दे०श०-५ग में प्रदान किया जायेगा।
- (ग) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के अनुज्ञापी/विक्रेता की होगी।

नियम-4 फुटकर दुकानों की संख्या और स्थिति के निर्धारण की शक्ति

राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकानों की संख्या निर्धारित की जायेगी। दुकानों की प्राप्तिसुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुकान को भू-टैग किया जायेगा। दुकानों की स्थिति समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 के प्राविधानों के अनुसार होगी।

परन्तु राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा किसी आबकारी वर्ष में जिले के लाइसेंस प्राधिकारी की मांग पर नई दुकानों का सृजन किया जा सकता है।

नियम-5. लाइसेंस की अवधि-

लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, किन्तु लाइसेंसधारी की इच्छानुसार अनुज्ञापन अगले आबकारी वर्ष के लिये राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित उपभोग के मानदण्ड के अनुसार नवीनीकृत अथवा विस्तारित किया जा सकेगा।

नियम-6. लाइसेंस की स्वीकृति- इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि को ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से भुगतान करने पर लाइसेंस निर्गत किये जायेंगे। लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस जिले में ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करे, जहाँ से उसे लाइसेंस स्वीकृति के समय जारी किया गया हो।

नियम-7-अनुज्ञापन स्वीकृति के लिये आवेदन-

(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, जिनके उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) के साथ-साथ जिला की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के पश्चात् इस निमित्त आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।

(ख) देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की सूची, जिनकी लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, दुकानवार बेसिक लाइसेंस फीस, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि और धरोहर धनराशि सहित कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय और उप आबकारी आयुक्त प्रभार के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी। यह सूचना आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) के साथ-साथ प्रत्येक जिला की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

(ग) लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति में दी गई समय-सारिणी के अनुसार ऑनलाइन जमा किये जायेंगे। आवेदन के साथ (एक) हैसियत प्रमाण पत्र, (दो) आधार कार्ड, (तीन) पैन कार्ड (चार) गतवर्ष की आयकर विवरणी की छायाप्रति और (पाँच) विहित प्रारूप में शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित दर से प्रसंस्करण फीस व उस पर देय मूल्य सर्वाधित कर/माल और सेवा कर के अतिरिक्त धरोहर धनराशि का भुगतान भी आन लाइन किया जायेगा।

(घ) आवेदन पत्र प्राप्ति के लिए निर्धारित किया जाने वाला अन्तिम दिनांक किसी समाचार पत्र और आबकारी विभाग की वेबसाइट (www.upexcise.in) में किए गए विज्ञापन में यथा नियत दिवसों से पूर्व नहीं होगा।

(ङ) निकाल दिया गया।

नियम-8- आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तेः-

फुटकर देशी शराब की दुकान के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होगी- अर्थात्-

(क) भारत का नागरिक हो,

या

दो से अनधिक आवेदक, अर्थात् एक व्यक्तिगत रूप से व दूसरा सह-आवेदक के साथ तथा दोनों भारत के नागरिक हों।

भागीदार गाली फर्म अथवा कम्पनी फुटकर लाइसेंस स्वीकृति हेतु पात्र नहीं होंगी। इसी प्रकार थोक विकेता या आसवनी/मदिरा विनिर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने हेतु पात्र नहीं होगा।

दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक तथा सह-आवेदकों की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा। परन्तु यदि लाइसेंस किसी एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो, तो उसके मृत्यु की दशा में उसका/उसके विधिक वारिश यदि

अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं।

परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस (वारिसो) के साथ यदि अन्यथा पात्र हों, अनुज्ञापनधारी बना रहेगा या दोनों व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिस (वारिसो) यदि अन्यथा पात्र हो, अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं। दोनों व्यक्तियों के विधिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनों सम्मिलित रूप से अलग—अलग उत्तरदायी होंगे;

(ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इकीस वर्ष की आयु से अधिक हो।

(ग) व्यतिक्रमी/काली सूची में सम्मिलित अथवा अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई किसी नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।

(गग) आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिये स्वयं के नाम से एक तथा सह आवेदक के साथ अधिकतम एक कुल मिलाकर अधिक से अधिक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिये पात्र होगा।

(घ) निकाल दिया गया।

(ड) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से अभिप्राप्ति शापथपत्र प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-

(एक) यह कि समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के प्राविधानों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।

(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोष सिद्ध न किया गया हो।

(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण—पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।

(पाँच) यह कि व किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड—तीन में उल्लिखित है या जो किसी संकामक रोग से ग्रसित हो या इकीस वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से अपने प्राधिकृत बिक्रेता/ प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।

(छ) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।

(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।

(आठ) यह है कि वह सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुबंध/पट्टा/ठेका/अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये।

(नौ) यह है कि आवेदक बार काउसिंल में पंजीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में पंजीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाय। राज्य सरकार का कर्मचारी, अनुज्ञापन स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अनर्ह होगा।

(दस) निकाल दिया गया।

(डड) यह कि वह राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि आबकारी विभाग के राजकीय खाते में आन लाइन आवेदन द्वारा जमा करेगा। अनुज्ञापी के रूप में चयन हो जाने की दशा में धरोहर धनराशि को बेसिक लाइसेंस फीस के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी। अन्य मामलों में शीघ्र ही चयन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त आवेदक को इलेक्ट्रानिक भुगतान के माध्यम से वापस कर दिया जायेगा।

(झ) निकाल दिया गया।

(ज) यह कि वह ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र का धारक है तथा उसकी सह आवेदक के साथ ऋणशोधन क्षमता की मालियत जिला में एक दुकान का अनुज्ञापन प्रदान करने के लिये अवधारित बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस के योग के 1/6 भाग के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होगी, परन्तु सह आवेदक होने की दशा में जिला में अनुज्ञापन स्वीकृति के लिये अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता के लिये निर्धारित मानदण्ड को दोनों व्यक्तिगत रूप से पूरा करेंगे।

नियम-9. लाइसेंस के लिये जिला स्तरीय समिति-

देशी शराब की फृटकर बिक्री के अनुज्ञापियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी। समिति में निम्नलिखित

सदस्य होंगे:- अर्थात्

(एक) जिले का कलेक्टर अध्यक्ष

(दो) जिले का वरिष्ठ पुलिस सदस्य

(तीन) आबकारी आयुक्त द्वारा नामित सदस्य

आबकारी विभाग का सदस्य

एक राजपत्रित अधिकारी

(चार) जिले का जिला आबकारी अधिकारी सदस्य/सचिव

नियम-10. लाइसेंसधारी का चयन

(क) अनुज्ञापियों का चयन आनलाइन आवेदन आमंत्रित कर ई-लाटरी के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी आनलाइन प्राप्त आवेदनों की अर्ह एवं अनर्ह की तैयार सूची ई-लाटरी हेतु गठित अनुज्ञापन के लिये जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिये अनर्हता के कारणों के उल्लेख सहित तैयार करेगा।

(ख) उक्त समिति आवंटन हेतु अर्ह एवं अनर्ह आवेदकों को चिन्हित करेगी। अर्ह आवेदकों में से प्रत्येक दुकान के लिये अनुज्ञापी का चयन कम्प्यूटर चलित यादृच्छिक विन्यास के माध्यम से किया जायेगा। यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धित नियम के अधीन विहित अनुकम के अनुसार देशी मंदिरा, माडल शाप, विदेशी मंदिरा तथा बीयर की फृटकर दुकानों के कम में अपनायी जायेगी। किसी भी आवेदक के पक्ष में स्वयं अथवा सह आवेदक के साथ एक जिला में सभी प्रकार की देशी शराब, माडल शाप, विदेशी मंदिरा, एवं बीयर की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी।

(ग) यदि चयनित आवेदक बेसिक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकताएँ पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(घ) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो या किसी दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल उपाय करेगा।

निकाल दिया गया।

नियम 11. व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण-

जिला आबकारी अधिकारी व्यवस्थापन के 7 दिन के अन्दर व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा, जिसमें अनुज्ञापियों के नाम और पते, दुकानवार वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, प्रतिभूति धनराशि और बेसिक लाइसेंस फीस के रूप में जमा की गयी राशि का विवरण होगा तथा उसका विवरण आबकारी विभाग की वेबसाइट (डब्लू डब्लू डब्लू .यूपीएक्साइज.इन) पर अपलोड किये जाने के अतिरिक्त विहित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

नियम-12. बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान-

यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के 03 कार्य दिवसों के भीतर बेसिक लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयनित होने की सूचना के 10 कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि

अपने चयन होने की सूचना के 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें। आवेदक द्वारा बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा।

अनुवर्ती वर्ष में, दुकान का अनुज्ञापन लाइसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित उपभोग के मानदण्ड के अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

यदि वह विहित अवधि में बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि तथा बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जो उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समप्रहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल राज्य सरकार द्वारा यथा विहित तरीके से पुर्णव्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

नियम-13. शराब का उठान- इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी देशी शराब के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान,

अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जिसके अन्तर्गत सभी कर, शुल्क फीस (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) और उपकर जो समय-समय पर उद्ग्रहीत किये जायें, करने के पश्चात् जनपद के किसी थोक लाइसेंसधारी से देशी शराब की आपूर्ति प्राप्त करेगा। लाइसेंसधारी मांग पत्र कम से कम 72 घण्टे पूर्व जिले में उस थोक लाइसेंसधारी को प्रस्तुत करेगा, जिससे वह देशी शराब की आपूर्ति प्राप्त करना चाहता है।

नियम-14. लाइसेंस फीस की मासिक किस्त का भुगतान और विफलता के परिणामः-(क) अनुज्ञापी को माह की अन्तिम तिथि तक लाइसेंस फीस की मासिक किस्त जमा करनी होगी, परन्तु उसके द्वारा सम्बन्धित माह के दौरान उठायी गयी देशी शराब की मात्रा/संख्या में निहित प्रतिफल शुल्क को, इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन लाइसेंस फीस की मासिक किस्त में समायोजित किया जायेगा।

(ख) अनुज्ञापी से अपेक्षा की जायेगी कि वह अगले माह कि पहली तारीख के सायं 5 बजे तक स्वयं पर देय लाइसेंस फीस की गणना व सत्यापन हेतु अपने द्वारा उठायी गयी देशी शराब व जमा की गयी लाइसेंस फीस का विवरण देते हुये अपना लेखा और लाइसेंस फीस पासबुक जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर दें।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उठायी गयी देशी शराब में निहित प्रतिफल शुल्क के सम्यक समायोजन के पश्चात् लाइसेंस फीस में कोई कर्मी होने की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी लाइसेंस फीस की परादेय अवशेष धनराशि को अनुज्ञापी द्वारा जमा प्रतिभूति धनराशि में से समायोजित कर लेगा एवं प्रतिभूति धनराशि में आयी कर्मी को नकद जमा कराने हेतु लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापी को नोटिस देने के पश्चात् उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस कार्यवाही की अधिकतम समय सीमा माह के प्रारम्भ से दस कार्य दिवस होगी। अपेक्षित प्रतिभूति धनराशि की पुनः पूर्ति न करने की दशा में नियत अवधि व्यतीत हो जाने पर प्रश्नगत अनुज्ञापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

मासान्त के पश्चात् आगामी माह में देशी शराब की मात्रा उठाकर प्रतिभूति धनराशि की कर्मी में पूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।

नियम-15. न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत मात्रा से अधिक देशी शराब की उठान और लाइसेंस फीस के जमा अवशेष का उपार्जन-

- (1) अनुज्ञापी न्यूनतम गारंटी मात्रा से बढ़कर किसी तीव्रता की देशी शराब का उठान कर सकता है, जिसके लिये अनुज्ञापी कोई अतिरिक्त बेसिक लाइसेंस फीस के भुगतान के लिये दायी नहीं होगा।
- (2) निकाल दिया गया।
- (3) निकाल दिया गया।

नियम-16. अधिकतम् फुटकर मूल्य - देशी शराब की बोतलों और पात्रों के लेबिलों पर राज्य सरकार की सहमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम् फुटकर बिक्रय मूल्य अंकित होगा। लाइसेंसधारी बोतलों के लेबिलों पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा। अधिकतम फुटकर मूल्य (एम०आर०पी०) से अधिक मूल्य प्रभारित किये जाने की दशा में वह नियम-21 के अधीन दण्डनीय होगा।

नियम-17-बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी- अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल(अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर **मध्याह्न 12 से रात्रि 10 बजे** तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सम्बन्धित कानून के प्राविधानों के अधीन दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

नियम-18.लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अवशेष स्टाक का निस्तारण-

लाइसेंसी द्वारा वर्ष में उठायी गयी देशी शराब की सम्पूर्ण मात्रा की बिक्री उसे उसके लाइसेंस की वैधता अवधि में ही करनी होगी और लाइसेंस की समाप्ति के बाद लाइसेंसी को उसे बेचने की अनुमति न होगी। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर देशी शराब की अवशेष और अविक्रीत मात्रा, की घोषणा, लाइसेंस प्राधिकारी के समक्ष अगले दिन की जायेगी और लाइसेंस की समाप्ति के अगले दिवस को 5.00 बजे अपराह्न तक जिला के संबंधित थोक लाइसेंसधारी को लौटा दी जायेगी। लाइसेंसधारी केवल लागत मूल्य, जिसमें प्रतिफल फीस और अन्य कर सम्मिलित नहीं होंगे, प्रतिदाय का हकदार होगा। थोक लाइसेंस पर प्राप्त देशी शराब की ऐसी स्टाक की नीलामी आबकारी आयुक्त की अनुमति से उप आबकारी आयुक्त की उपस्थिति में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा की जायेगी। केवल पोटेबुल आसवनियों को उपरोक्त नीलामी में सहभागिता की अनुमति दी जायेगी। नीलाम से प्राप्त धनराशि को लेखा-शीर्षक 8443 सुरक्षा और अन्य प्राप्तियों के अधीन जिला के कोषागार में जमा की जायेगी और इसके पश्चात् जमा धनराशि लागत मूल्य के रूप में देय धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित लाइसेंसधारियों को आनुपातिक रूप में वितरित की जायेगी। तैयार आसवनियों की अनुपलब्धता के परिणाम स्वरूप लाइसेंसधारी देशी शराब की अवशेष मात्रा के किसी मूल्य के भुगतान के लिये दायी नहीं होंगे और उसे उप आबकारी आयुक्त के समक्ष नष्ट कर दिया जायेगा।

नियम-19— अनुज्ञापन का अभ्यर्पण –

अनुज्ञापी, अधिनियम की धारा 36 के उपबन्धों के अधीन अपने अनुज्ञापन का अभ्यर्पण लाइसेंस प्राधिकारी को कम से कम, एक मास की लिखित नोटिस देकर कर सकता है। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंस प्राधिकारी, उसकी जमा प्रतिभूति से समस्त अवशेष आबकारी देयों की वसूली करने की कार्यवाही करेगा, और आबकारी आयुक्त का आदेश प्राप्त कर अतिशेष धनराशि वापस करेगा। लाइसेंस प्राधिकारी, आबकारी वर्ष की शेष अवधि के लिये दुकान के पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही भी आरम्भ करेगा।

नियम-20, दुकानों का अन्तरिम व्यवस्थापन

(क) इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी लाइसेंस के निलम्बन, निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के मामले में लाइसेंस प्राधिकारी सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी दरों पर दैनिक बेसिक लाइसेंस फीस और समानुपातिक लाइसेंस फीस (अर्थात् प्रतिफल फीस दैनिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा) जो कि एक बार में न्यूनतम चौदह दिनों कि अवधि या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक, इसमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी, के भुगतान पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन सर्वोच्च आफर पर कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने के मामले में सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे अनुज्ञापी को प्रतिदिन की प्रत्याभूति मात्रा में निहित प्रतिफल फीस की धनराशि की दर से अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि के लिए प्रतिभूति धनराशि जमा करना होगा।

परन्तु लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान का ऐसा व्यवस्थापन आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति के सिवाय दो बार से अधिक नहीं किया जायेगा।

निकाल दिया गया।

(ख) **निकाल दिया गया।**

नियम-21, अनुज्ञापन का निलम्बन और निरस्तीकरण और शास्तियाँ :-

(1)-लाइसेंस प्राधिकारी, अनुज्ञापन को निलम्बित या निरस्त कर सकता है-

(क) यदि अनुज्ञापित परिसर में देशी शराब की कोई बोतल पाया जाय, जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया हो

और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा नहीं किया गया हो।

(ख) यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक औषधि की बोतल या पात्र (जिसके लिये अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया गया है) की बोतल या पात्र पाये जाते हैं।

(ग) अधिनियम व नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध अनुज्ञापी के कब्जे में यदि कोई मदिरा या मादक औषधि पाया जाता है।

(घ) यदि अनुज्ञापी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है।

(ङ.) यदि यह पाया जाता है कि अनुज्ञापन फर्जी नाम से प्राप्त किया है या अनुज्ञापी किसी अन्य व्यक्ति के नाम में अनुज्ञापन धारण किये हुये हैं।

(च) यदि अनुज्ञापी लाइसेंस फीस की मासिक किस्त या प्रतिभूति धनराशि में कमी की पूर्ति विहित अवधि में जमा करने में विफल रहता है।

(छ:) यदि अनुज्ञापी अधिनियम में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

(2) लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल लाइसेंस को निलम्बित कर देगा और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति के सम्पहरण के लिये कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। लाइसेंसधारी नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को सुने जाने का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपयुक्त आदेश पारित करेगा।




परन्तु यह कि उपरोक्त नियम-21(1) के उप प्रस्तर-च में यथाउलिखित सुसंगत विषयों से संबंधित लाइसेंस का निलम्बन और निरस्तीकरण की प्रक्रिया नियम-14 के अनुसार निष्पादित की जायेगी।

3-लाइसेंस निरस्त किये जाने की दशा में उसके द्वारा जमा की गई बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि सरकार के पक्ष में सम्पहृत हो जायेगी और लाइसेंसधारी कोई प्रतिकर या वापसी के दावे का हकदार न होगा। ऐसे लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा उसे अन्य कोई आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित किया जा सकता है।

प्रारूप सी०एल० 5 सी

देशी शराब-5 ग

भूगूहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों एवं पात्रों में तनु और तीव्र देशी शराब की फुटकर बिकी के लिए लाइसेंस



दुकान का अक्षांश/देशान्तर.....

लाइसेंस संख्या.....वर्ष.....

दुकान का नाम.....जिला.....

बेसिक लाइसेंस फीस रूपया(अंकों में).....(शब्दों में).....वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा.....

.....बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीब्र देशी शराब के रूप में)
 लाइसेंस फीस रूपया(अंकों में).....(शब्दों में)
 मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा.....बल्क लीटर में (36 प्रतिशत वी/वी तीब्र देशी शराब के रूप में)
 लाइसेंस फीस की मासिक किस्त रु0(अंकों में).....(शब्दों में) भूगृहादि का विवरण (चौहदी के साथ)

.....
 उत्तरदक्षिण :

पूर्खपश्चिम :

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम और पते

- (1).....पुत्र.....निवासी
- (2).....पुत्र.....निवासी

विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते

- (1).....पुत्र.....निवासी
- (2).....पुत्र.....निवासी
- (3).....पुत्र.....निवासी
- (4).....पुत्र.....निवासी

आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित तीब्रता एवं धारिता की तीब्र एवं तनु देशी शराब की 200 एम०एल० धारिता की पेट/शीशे की बोतलों में फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस, ऊपर लाइसेंस धारकों को जिला.....के अन्तर्गत.....

स्थान, पुलिस थाना.....तहसील.....के लिए दिनांकसे 31 मार्च 20.....

तक के लिए जिसके लिए नियम-6 और नियम-12 के अनुसार बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गई है, एतद्वारा निर्गत किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन व शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा उ0प्र0 आबकारी (देशी शराब के फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) के नियम-21 में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस धारक का लाइसेंस निरस्त हो जायेगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप सम्पहृत कर ली जायेगी।

निबन्धन एवं शर्त

- 1— नियम-13 के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञापी मूल्य एवं प्रतिफल शुल्क अधिमानतः ई-पेमेन्ट के द्वारा जमा करने के पश्चात् देशी शराब का उठान थोक अनुज्ञापन के सी0एल०-2 गोदाम से करेगा।
- 2— नियम-14 के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञापी को लाइसेंस फीस की मासिक किस्त माह की अन्तिम तिथि तक जमा करनी होगी।
- 3— देशी शराब की बोतलों में पात्रों की लेबुलों पर अधिकतम् फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी छपे हुए अधिकतम् फुटकर मूल्य से अधिक नहीं वसूल करेगा।
- 4— भूगृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिए मुहरबन्द बोतलों और पात्रों में देशी स्प्रिट की बिकी उसी गद्दी से

होगी। परिसर के एक अंश को अलग रखा जायेगा, जहाँ केवल उपभोग के लिए अनुमति होगी। परिसर में उपभोग के लिए भी खुली देशी स्प्रिट नहीं परोसी जायेगी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार दुकानों पर उपभोग किये जाने के बाद खाली हुई पेट/शीशे की बोतलों एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेदारी दुकान के बिक्रेता/अनुज्ञापी की होगी।

- 5– विहित तीव्रता और मात्रा की देशी शराब की बिक्री **200 एम०एल०** की मुहरबन्द पेट/शीशे की बोतलों में की जायेगी, जिस पर शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा हो।
- 6– लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रपत्र और रजिस्टर में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा रखेगा, और उसे उत्तर प्रदेश आबकारी के पोर्टल पर भी एस.एम.एस. करेगा/अपलोड करेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो उक्त लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी बिक्री इत्यादि का लेखा भी प्रस्तुत करेगा और यथा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों की सुविधा देगा और उन्हें उपलब्ध करायेगा।
- 7– देशी शराब की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को अनुज्ञापित परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 8– अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल(अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों पर **मध्यान्ह 12 से रात्रि 10 बजे** तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित किया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिवसों पर से दुकान की बन्दी के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
- 9– लाइसेंसधारी देशी शराब के सम्पूर्ण स्टाक का भण्डारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा। वह **ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली** के अन्तर्गत विहित सुरक्षा कोड के अनुसार बोतलों के अवलोकन के लिये आवश्यक यंत्र रखेगा।
- 10– लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर **आबकारी आयुक्त** द्वारा अनुमोदित किये गये प्रपत्र साइज में एक सहज दृष्टि साइनबोर्ड लगाएगा, जिसके ऊपर लाइसेंसधारी का नाम, पदनाम, देशी शराब का अनुज्ञापित धारक फुटकर बिक्री की दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेंगी। **साईन बोर्ड** में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-
“दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।”
- 11– लाइसेंसधारी अनुज्ञापित परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में बैंचों, तख्तों, कुर्सियों और मेजों सहित समुचित रूप से बैठने की व्यवस्था करेगा। अनुज्ञापी द्वारा उपभोक्ता को गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थों को पका कर उपलब्ध करायेगा।
- 12– लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या किसी संकामक रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक, पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से निर्गत बिक्रेता का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना होगा और जब निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाये तो, उसे प्रस्तुत करना होगा।
- 13– लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को 1.5 लीटर सादा व मसाला प्रत्येक तीव्रता की अलग-अलग से अधिक देशी शराब नहीं बेंचेगा जब तक कि आबकारी मैनुअल प्रथम खण्ड 1995 संस्करण के देशी शराब के आयात-निर्यात, परिवहन व कब्जे में रखने की नियमावली के नियम-28 (3) के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की गई हो।
- 14– किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्री नहीं की जायेगी जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी जो वर्दी में हो।
- 15– लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों और पात्रों या उनके लेबुलों, **सुरक्षा कोड**, पिल्करप्रूफ कैप (चोरी रोधक ढक्कनों) या मोहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना सर्वथा निषिद्ध है।
- 16– लाइसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध, शर्करा (चाशनी), रंग, सुगंधि (अर्क), **सुरक्षा कोड** निर्माण करने वाला यंत्र, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई अपायकर सामग्री नहीं रखेगा।
- 17– लाइसेंसधारी या उसके विक्रेता के लिए दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से 5 फिट की दूरी पर जहाँ विक्रय के लिए देशी शराब भण्डारित की गई है, पानी का रखना सर्वथा निषिद्ध है।
- 18– लाइसेंसधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए उसकी नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से

साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।

- 19— परिसर के भीतर प्रयुक्त सभी कुल्हड़, पत्तलों आदि को कूड़े के लिए निर्मित खाली स्थानों या इस प्रयोजनार्थ रखे गए ढक्कनदार कूड़ेदानों में तत्काल हटा कर डाल दिया जायेगा, जिसे कि विक्रय के निर्धारित घण्टों के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा।
- 20— लाइसेंसधारी / विक्रेता और उसके परिवार के सिवाय परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।
- 21— लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिकी बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। घूूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है।
- 22— लाइसेंसधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अतिरिक्त शेष स्टाक के निस्तारण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-18 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।
- 23— लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा।

दिनांक

जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी